

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062026-273942
CG-DL-E-30062026-273942

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2026/ आषाढ 8, 1948

No. 474]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2026/ ASHADHA 8, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2026

सा.का.नि. 526 (अ).— केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.** — (1) इस स्कीम का नाम कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 2026 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

(3) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 20 और धारा 143 के उपबंधों के अध्यधीन, यह स्कीम प्रत्येक ऐसे स्थापना के कर्मचारियों पर लागू होगी जिन पर उक्त संहिता का अध्याय 3 लागू होता है।

2. **परिभाषाएं.**— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “संहिता” से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) आश्वासन लाभ” से कर्मचारी के भविष्य निधि लेखा में औसत शेष रकम से समबद्ध उस भुगतान से अभिप्रेत है, जो कर्मचारी के भविष्य निधि का सदस्य रहते हुए उसकी मृत्यु होने की स्थिति में देय होता है;

(ग) “बीमा पॉलिसी” से किसी बीमा सेवा प्रदाता द्वारा जारी की गई समूह बीमा पॉलिसी अभिप्रेत है;

(घ) “आयुक्त” से संहिता की धारा 14 के अध्यक्षीन नियुक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा सहायक भविष्य निधि आयुक्त

अभिप्रेत है;

(ङ) “सदस्य” से कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 का कोई सदस्य अथवा संहिता की धारा 143 के अध्यक्षीन छूट प्राप्त किसी भविष्य निधि का कोई सदस्य अभिप्रेत है, जिसे इस स्कीम का सदस्य बनना अपेक्षित है।

(च) “नामित” से कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 2026 के पैरा 46 के अध्यक्षीन नामित व्यक्ति अभिप्रेत है।

(2) ऐसे सभी शब्दों और पदों, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः संहिता, उसके अध्यक्षीन बनाए गए नियमों अथवा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 में हैं।

3. आयुक्त की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां. — आयुक्त, केंद्रीय बोर्ड को संदर्भित किए बिना, बीमा निधि के प्रशासन हेतु आवश्यक आकस्मिक व्ययों, सामग्री एवं सेवाओं तथा वस्तुओं की खरीद पर व्यय की स्वीकृति प्रदान कर सकता है, जो बजट में वित्तीय उपबंध तथा किसी एक मद पर व्यय की स्वीकृति देने के लिए आयुक्त को अधिकृत की गई सीमा के अध्यक्षीन होगा।

4. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 के उपबंधों का लागू होना. — इस योजना में जिन विषयों के संबंध में कोई उपबंध नहीं है अथवा अपर्याप्त उपबंध हैं, उनके लिए 'कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 2026' के उपबंध लागू होंगे।

5. अंशदान.— (1) संहिता की धारा 16 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन नियोक्ता द्वारा निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि में देय अंशदान की गणना, संहिता की धारा 2 के खंड 88 में परिभाषित मजदूरी के आधार पर की जाएगी, जो इस संहिता की धारा 2 की के खंड 89 में विनिर्दिष्ट मजदूरी-सीमा के अध्यक्षीन होगी।

(2) बीमा निधि के बीमांकिक मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, अंशदान की दर समय-समय पर केंद्रीय बोर्ड से परामर्श करके केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(3) प्रत्येक अंशदान की गणना निकटतम रुपए तक की जाएगी, पचास पैसे या उससे अधिक रकम को अगले पूर्ण रूपये के रूप में गिना जाएगा तथा पचास पैसे से कम के राशि के अंश को उपेक्षित किया जाएगा।

6. अंशदान के भुगतान का माध्यम. — (1) प्रत्येक माह की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर नियोक्ता बीमा निधि में देय अंशदान तथा प्रशासनिक प्रभारों का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (जिसमें डिजिटल भुगतान भी सम्मिलित है) से करेगा। यह भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक में सूचीबद्ध अभिकरण बैंकों अथवा अनुसूचित बैंकों या ऐसे संग्रहण हेतु अधिकृत भुगतान गेटवे अथवा पेगोव प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा और प्रेषण की लागत, यदि कोई हो, नियोक्ता द्वारा वहन की जाएगी।

(2) नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कर्मचारियों और ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में स्वयं द्वारा देय अंशदान का भुगतान करने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी।

7. किसी अंशदान के भुगतान में चूक करने पर नुकसानी की वसूली. — (1) यदि कोई नियोक्ता बीमा निधि में देय किसी अंशदान के भुगतान में, अथवा संहिता, उसके अधीन बनाए गए नियमों या इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार देय किसी प्रभार के भुगतान में चूक करता है, तो आयुक्त या इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, नियोक्ता से दंड के रूप में नुकसानी वसूल कर सकता है, ऐसी नुकसानी की दरें और उनका निर्धारण 'कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026' में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगा।

(2) नुकसानी की रकम की गणना निकटतम रूपए तक की जाएगी, गणना के दौरान यदि राशि में पचास पैसे या उससे अधिक का अंश हो, तो उसे अगले पूर्ण रुपये में गिना जाएगा; तथा यदि राशि में पचास पैसे से कम का अंश हो, तो उसकी गणना नहीं की जाएगी।

8. नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी की मजदूरी से नहीं काटा जाएगा. — किसी संविदा में किसी बात के होते हुए भी, नियोक्ता इस स्कीम के अधीन अपने द्वारा देय अंशदान को कर्मचारियों के वेतन से नहीं काटेगा और न ही किसी अन्य रीति से उसकी वसूली कर्मचारियों से करेगा।

9. नियोक्ता के कर्तव्य. — (1) प्रत्येक नियोक्ता, इस स्कीम के प्रारंभ होने के पंद्रह दिन के भीतर, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 2026 के उपबंधों के अनुसार या संहिता की धारा 143 के अधीन या प्रतिष्ठान की भविष्य निधि के नियमों के अधीन छूट प्राप्त स्थापना के मामले में बीमा स्कीम के सदस्य बनने के पात्र और नामित कर्मचारियों का एक समेकित रिटर्न आयुक्त को भेजेगा।

(2) प्रत्येक नियोक्ता, प्रत्येक महीने के समापन के पंद्रह दिनों के भीतर, पिछले महीने के दौरान पहली बार फंड के सदस्य बनने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा और पिछले महीने के दौरान नियोक्ता की सेवा छोड़ने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा भी विनिर्दिष्ट पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करेगा।

(3) प्रत्येक नियोक्ता, केंद्रीय बोर्ड द्वारा या उसके अधिकार के अधीन स्वीकृत बीमा निधि से ऐसा भुगतान करने में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करेगा।

(4) प्रत्येक नियोक्ता द्वारा आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य निर्देश, जैसा कि वह इस स्कीम के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे, का पालन किया जाएगा।

10. अभिलेखों और रजिस्ट्रों का निरीक्षण. — प्रत्येक नियोक्ता, जब कभी आयुक्त या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अपेक्षा की जाती है तब निरीक्षण के लिए भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए अभिलेखों और अन्य रजिस्ट्रों को उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा।

11. प्रशासन लेखा. — (1) संहिता की धारा-16 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक के अधीन नियोक्ताओं से प्राप्त रकम और संहिता की धारा 143 की उप-धारा 6 के अधीन प्राप्त निरीक्षण प्रभार को "बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा" नामक लेखा में जमा किया जाएगा, और इस स्कीम के प्रशासन के प्रति सभी खर्चों का भुगतान इसी लेखा से किया जाएगा।

(2) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अधीन बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा की निवल आस्तियां इस स्कीम के अधीन बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा में निहित एवं उसमें स्थानांतरित हो जाएंगी।

12. निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा. — (1) नियोक्ता के अंशदान के रूप में प्राप्त रकम को "निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा" नामक लेखा में जमा किया जाएगा और इस स्कीम द्वारा या इसके अधीन प्रदान किए जाने वाले किसी भी लाभ की लागत के प्रति सभी खर्चों का भुगतान इसी लेखा से किया जाएगा।

(2) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 की निवल आस्तियां, इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख को, बीमा निधि लेखा में निहित होंगी और उसमें स्थानांतरित हो जाएंगी।

13. बीमा निधि के धन का निवेश. — (1) इस स्कीम की अधिसूचना के समय, लोक लेखा में केंद्रीय सरकार के पास जमा के रूप में विद्यमान बीमा निधि का पूरा धन उसी लेखा में रखा जाना जारी रहेगा और केंद्रीय सरकार प्रति वर्ष कम से कम साढ़े आठ प्रतिशत की दर से ब्याज देगी।

(2) उप-पैराग्राफ (1) के अध्यक्षीन, बीमा निधि के लेखा में जमा सारा धन और इसके बाद बीमा निधि में जमा होने वाला सारा धन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 के अनुसार निवेश किया जाएगा।

(3) उप-पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार बीमा निधि के लिए विशिष्ट निवेश पद्धति का उपबंध कर सकती है।

14. ब्याज. — निवेश के विक्रय से प्राप्त सभी ब्याज, किराया और अन्य आय तथा निवल लाभ या हानि, यदि कोई हो, जिसमें बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा के संव्यवहार शामिल नहीं है, को यथास्थिति, बीमा निधि में जमा या विकलन किया जाएगा।

15. बीमा निधि का निपटान. — (1) संहिता तथा बीमा स्कीम के उपबंधों के अध्यक्षीन, बीमा निधि, जिसमें बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा शामिल नहीं है, केंद्रीय बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना, इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार लाभों के भुगतान के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए व्यय नहीं की जाएगी।

(2) बीमा निधि का संचालन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जिन्हें केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस संबंध में अधिकृत किए जाएं।

16. प्रशासनिक व्यय. — इस स्कीम के प्रशासन से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा से किया जाएगा।

17. लेखों के प्ररूप. — कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासन लेखा का रखरखाव आयुक्त द्वारा केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से केंद्रीय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से किया जाएगा।

18. लेखापरीक्षा. — (1) बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा सहित बीमा निधि के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

(2) लेखापरीक्षा की मद में आने वाले खर्चों का भुगतान बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा से किया जाएगा।

19. बीमा निधि का मूल्यांकन. — (1) केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अंशदान की दर और लाभ संरचना की निरंतरता, शोधनक्षमता और पर्याप्तता का आकलन करने के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में बीमा निधि के मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति करेगा:

परंतु केंद्रीय सरकार को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे किसी अन्य समय पर मूल्यांकन कराने का निर्देश दे सके जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय बोर्ड के परामर्श से, इस स्कीम के अधीन देय अंशदान की दर या स्वीकार्य लाभों के पैमाने में या उस अवधि में परिवर्तन कर सकती है, जिसके लिए ऐसा लाभ दिया जा सकता है।

20. बजट. — (1) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम पखवाड़े से पहले केंद्रीय बोर्ड के समक्ष एक बजट प्रस्तुत करेगा, जिसमें अंशदानों और प्रशासनिक प्रभारों से होने वाली संभावित प्राप्तियों तथा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने होने वाले प्रस्तावित व्यय को अलग-अलग दर्शाया जाएगा।

(2) केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष रखे जाने के एक माह के भीतर केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार बजट में, ऐसे संशोधन कर सकती है जो वह आवश्यक समझे।

(4) आयुक्त, वर्ष के दौरान किसी भी समय, केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट में स्वीकृत निधियों का बजटीय पुनर्विनियोजन कर सकता है, परंतु,

केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट में स्वीकृत कुल रकम से अधिक न हो;

यह केवल प्रशासन के ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाए जो बीमा निधि केन्द्रीय प्रशासन लेखा से पूरे किए जाने हैं; और

इस प्रकार किए गए प्रत्येक पुनर्विनियोजन की रिपोर्ट केन्द्रीय बोर्ड को उसकी अगली बैठक में दी जाएगी।

(5) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष एक अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगा, जिसमें अपरिहार्य व्यय के विस्तृत अनुमान और कारण दिए जाएंगे, जिसके चालू वर्ष के दौरान होने की सम्भावना है, जिसके लिए स्वीकृत बजट में कोई उपबंध नहीं किया गया है और जिसे उप-पैराग्राफ (4) के उपबंधों के अधीन कवर नहीं किया जा सकता है।

(6) वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत बजट से अधिक और उप-पैराग्राफ (4) व (5) के उपबंधों के अधीन कवर न होने वाले किसी भी व्यय के लिए, जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया गया हो, अधिकता स्थापित होने के बाद यथाशीघ्र केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष उसके विचारार्थ और केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट किया जाएगा।

21. आश्वासन लाभ के पैमाने और कर्मचारी द्वारा बनाए रखा गया न्यूनतम औसत अतिशेष. — (1) किसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु पर, जो यथास्थिति, निधि का या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि का सदस्य है, मृतक के भविष्य निधि संचय को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति/(व्यक्तियों) को, ऐसे संचय के अतिरिक्त, रकम का भुगतान किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान या उसकी सदस्यता की अवधि के दौरान, जो भी कम हो, निधि में या भविष्य निधि में मृत व्यक्ति के खाते में औसत अतिशेष के बराबर होगी, सिवाय वहां के जहां औसत शेष पचास हजार रूपए से अधिक हो, तो देय राशि पचास हजार रुपये और पचास हजार रुपये से अधिक की राशि का 40% होगी, जो अधिकतम एक लाख रूपए की सीमा के अधीन होगी।

(2) पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान या उसकी सदस्यता की अवधि के दौरान उप-पैराग्राफ (1) के अधीन किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, भले ही यथास्थिति, निधि के या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि के सदस्य कर्मचारी का औसत भविष्य निधि अतिशेष पचास हजार रुपये से कम हो, पचास हजार रुपये के न्यूनतम आश्वासन लाभ का भुगतान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1.— किसी कर्मचारी के संबंध में, निधि में औसत अतिशेष राशि निर्धारित करने के प्रयोजन से या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि में, यथास्थिति, कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा सुसंगत अवधि के लिए और उस तक देय अंशदान का कुल योग, चाहे वह निधि में या छूट प्राप्त भविष्य निधि में भुगतान किया गया हो या भुगतान न किया गया हो, उस पर व्याज सहित, शामिल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2.— इस स्कीम के अधीन लाभों की गणना के लिए बारह माह की अवधि की गणना उस माह से पीछे की ओर की जाएगी, जो उस माह से ठीक पहले का हो जिसमें सदस्य की मृत्यु हुई है।

(3) एक अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, जो एक से अधिक कारखाने या प्रतिष्ठान में सेवा करने के दौरान, निधि का या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि का सदस्य था, यथास्थिति, इस स्कीम के अधीन लाभ की मात्रा पिछले बारह माह के दौरान निधि या भविष्य निधि में उसके सभी खातों के कुल शेष के औसत के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

(4) ऐसे कर्मचारी की मृत्यु पर, जो निधि का या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि का सदस्य है, यथास्थिति, और अपनी मृत्यु वाले माह से ठीक पहले निरंतर बारह माह की अवधि तक रोजगार में था, मृतक की भविष्य निधि संचय प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को, ऐसे संचय के अतिरिक्त, निम्नलिखित के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा: -

(i) उसकी मृत्यु वाले माह से ठीक पहले के बारह माह के दौरान प्राप्त औसत मासिक मजदूरी (केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी सीमा की अधिकतम राशि के अध्यक्षीन), जिसे पैंतीस गुणा किया जाएगा, और साथ ही पिछले बारह माह के दौरान निधि में या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि में, यथास्थिति हो, मृतक के खाते में औसत शेष राशि का पचास प्रतिशत, जो कि एक लाख पचहत्तर हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन होगा:

परन्तु आश्वासन लाभ दो लाख पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा और सात लाख रुपये से अधिक नहीं होगा;

(ii) उप-पैराग्राफ (1) के अधीन लाभ की राशि, जो भी अधिक हो;

परन्तु इस स्कीम के उप-पैराग्राफ (4) के अधीन देय न्यूनतम आश्वासन लाभों की पात्रता के लिए आवश्यक बारह माह की निरंतर अवधि के अवधारण के उद्देश्य से, रोजगार की दो अवधियों के बीच साठ दिनों के अंतर को छोड़ दिया जाएगा और ऐसी भिन्न-भिन्न सेवाओं को निरंतर सेवा मानते हुए जोड़ा जाएगा।

स्पष्टीकरण - एक अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, जो निधि का या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि का सदस्य है, यथास्थिति, जो अपनी मृत्यु वाले माह से ठीक पहले निरंतर बारह माह की अवधि के लिए एक से अधिक कारखाने या स्थापन में सेवा कर रहा था, इस स्कीम के अधीन लाभ की मात्रा उन सभी मजदूरी के कुल योग के औसत मजदूरी के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी जहां वह बारह माह से अधिक समय से निरंतर काम कर रहा था, जो कि संहिता की धारा 2 के खंड (89) में परिभाषित मजदूरी सीमा के अध्यक्षीन होगी।

(5) इस स्कीम के अधीन लाभ में, उप-पैराग्राफ (1) या (3) के अधीन स्वीकार्य लाभों के अतिरिक्त, यथास्थिति, वीस प्रतिशत की और वृद्धि की जाएगी।

(6) यदि कोई कर्मचारी, जो निधि का या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि का सदस्य है, यथास्थिति, नियोक्ता के रोल पर रहते हुए अंतिम अंशदान प्राप्त होने के छह माह के भीतर सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कर्मचारी को इस स्कीम के अनुसार आश्वासन लाभ प्राप्त होगा।

22. आश्वासन लाभ किसे देय होगा. — (1) कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 के अनुसार या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि के अधीन, यथास्थिति, सदस्य द्वारा किया गया नामांकन इस स्कीम के अधीन नामांकन माना जाएगा और आश्वासन राशि ऐसे नामांकित व्यक्ति या नामांकित व्यक्तियों को देय होगी।

(2) यदि कोई नामांकन मौजूद नहीं है या यदि नामांकन निधि में या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि में, यथास्थिति, उसके क्रेडिट में जमा राशि के केवल एक हिस्से से संबंधित है, तो पूरी राशि या उसका वह हिस्सा जिससे नामांकन संबंधित नहीं है, जैसा भी मामला हो, उसके परिवार के सदस्यों को समान हिस्सों में देय होगी।

(3) किसी भी ऐसे मामले में जिसमें उप-पैराग्राफ (1) और (2) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, पूरी राशि विधिक रूप से इसके हकदार व्यक्ति को देय होगी।

(4) यदि कोई व्यक्ति, जो उप-पैराग्राफ (1), (2) या (3) के संदर्भ में मृतक सदस्य का आश्वासन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है, उस पर सदस्य की हत्या का या ऐसी हत्या के लिए उकसाने का आरोप है, तो आश्वासन लाभ प्राप्त करने का उसका दावा उसके विरुद्ध आरंभ की गई आपराधिक कार्यवाही के समापन तक निलंबित रहेगा।

(5) यदि आपराधिक कार्यवाही के समापन पर, संबंधित व्यक्ति: -

(क) सदस्य की हत्या या हत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया जाता है, तो उसे निक्षेप सहबद्ध आश्वासन लाभ का अपना हिस्सा प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जाएगा, जो परिवार के अन्य पात्र सदस्यों को देय होगा; या

(ख) सदस्य की हत्या या हत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी हो जाता है, तो उसका हिस्सा उसे देय होगा।

स्पष्टीकरण: इस पैराग्राफ के उद्देश्य से, सदस्य के मरणोपरांत बच्चे को, यदि वह जीवित पैदा होता है, तो उसके साथ उसी तरह व्यवहार किया जाएगा जैसे सदस्य की मृत्यु से पहले पैदा हुए जीवित बच्चे के साथ किया जाता है।

23. आश्वासन राशि के भुगतान की रीति. — (1) इस स्कीम के अधीन भुगतान का दावा करने के लिए प्रत्येक दावेदार को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र और रीति में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आयुक्त के समक्ष दावा दायर करना होगा।

(2) भुगतान व्यक्ति को किसी भी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक (शहरी सहकारी बैंक सहित) के बचत बैंक खाते में या कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 में विनिर्दिष्ट किसी भी डाकघर में निधि-अंतरण पद्धति के माध्यम से किया जाएगा।

(3) सभी प्रकार से पूर्ण दावे, जो आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं, आयुक्त द्वारा प्राप्त होने की तारीख से बीस दिनों के भीतर निपटाए जाएंगे और लाभ की राशि लाभार्थियों को भुगतान की जाएगी।

(4) यदि दावे में कोई कमी है, तो उसे लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से बीस दिनों के भीतर आवेदक को संसूचित किया जाएगा।

(5) यदि आयुक्त बिना किसी पर्याप्त कारण के बीस दिनों के भीतर सभी प्रकार से पूर्ण दावे का निपटान करने में विफल रहता है, तो आयुक्त निर्धारित अवधि से अधिक की देरी के लिए उत्तरदायी होगा और लाभ की राशि पर बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से शास्तिक ब्याज लगाया जा सकता है और उसे आयुक्त के वेतन से काटा जा सकता है।

(6) उप-पैराग्राफ (1) में किसी भी बात के होते हुए भी, केंद्रीय बोर्ड, ऐसी मुद्रा सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए, जिसे वह उचित समझे, आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी को बिना दावा प्राप्त किए बीमा निधि से नामांकित व्यक्ति या पात्र लाभार्थी को, यथास्थिति, भुगतान करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

24. रजिस्टर, अभिलेख, आदि. — किसी प्रतिष्ठान का नियोजित इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में ऐसे अभिलेख और रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसमें नियोजित व्यक्तियों, मस्टर रोल, मजदूरी के संबंध में ऐसे विवरण और व्यौरे तथा नियमों से संबंधित ऐसे अन्य विवरण और व्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।

25. वार्षिक रिपोर्ट. — केंद्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष दस दिसंबर से पहले अनुमोदित करेगा और बीस दिसंबर से पहले केंद्रीय सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इस स्कीम के कामकाज पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

26. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अधीन दावों के लिए विशेष उपबंध. — कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अधीन जिसे भी बीमा लाभ मिलना है, उसे वही लाभ मिलेगा जो उसकी पात्रता की तारीख को लागू था।

स्पष्टीकरण: यदि कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का कोई सदस्य इस स्कीम के प्रारंभ होने से पहले मर जाता है, लेकिन दावा इस स्कीम के प्रारंभ होने के बाद प्राप्त होता है, तो सदस्य की मृत्यु की तारीख पर लागू स्कीम के अनुसार पात्रता के अधीन बीमा निधि से वही लाभ प्राप्त होगा जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अधीन देय था, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

27. छूट प्रदान करने के निबंधन और शर्तें. — इस स्कीम के उपबंधों से सभी छूटें निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन प्रदान की जा सकेंगी, अर्थात्:-

- (i) छूट प्रदान करने के लिए ऐसा आवेदन करने वाला प्रतिष्ठान बहुसंख्यक कर्मचारियों की सहमति प्रस्तुत करेगा;
- (ii) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम से छूट या छूट के विस्तार की मांग करने वाला प्रतिष्ठान अपने सभी कर्मचारियों के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समूह बीमा पॉलिसी खरीदेगा और नियोक्ता लिखित रूप में प्रमाणित करेगा कि यह लाभ इस स्कीम में उपलब्ध लाभ से अधिक लाभकारी है और कर्मचारी अंशदान या प्रीमियम का कोई अलग भुगतान नहीं कर रहे हैं;
- (iii) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम से छूट या छूट के विस्तार की मांग करने वाला प्रतिष्ठान छूट की प्रस्तावित तारीख या छूट की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले आवेदन करेगा;
- (iv) संहिता की धारा 143 के अधीन दी गई छूट भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगी;
- (v) वे सभी कर्मचारी, जो भविष्य निधि या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि के सदस्य बनने के पात्र थे, बीमा निधि के सदस्य के रूप में नामांकित किए जाएंगे;
- (vi) छूट प्राप्त प्रतिष्ठान का नियोक्ता उस स्थिति में कर्मचारियों के लाभार्थी को देय आश्वासन लाभ का भुगतान करने का वचन देगा, यदि बीमा सेवा प्रदाता पात्र लाभार्थी को ऐसे आश्वासन लाभ का भुगतान करने में विफल रहता है;
- (vii) जहाँ किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग या प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग को संहिता के अधीन छूट दी गई है, वहाँ नियोक्ता ऐसे कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग के संबंध में ऐसा खाता बनाए रखेगा, निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा, और ऐसे निरीक्षण शुल्क का भुगतान करेगा जैसा कि आयुक्त निर्देश दे;
- (viii) इस स्कीम के अधीन छूट प्राप्त प्रतिष्ठान इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप में मासिक ऑनलाइन विवरणी प्रस्तुत करेगा;
- (ix) आश्वासन लाभों के सभी दावों का निपटान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर त्वरित रूप से किया जाएगा;
- (x) प्रदान की गई छूट इसके प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी, जब तक कि इसे समुचित सरकार द्वारा रद्द न कर दिया जाए या प्रतिष्ठान द्वारा अभ्यर्पित न कर दिया जाए;

(xi) इस स्कीम में कोई भी ऐसा संशोधन, जो प्रतिष्ठान द्वारा खरीदी गई बीमा पॉलिसी की तुलना में कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, बीमा सेवा प्रदाता द्वारा पॉलिसी के औपचारिक संशोधन लंबित रहने तक, उन पर स्वतः लागू हो जाएगा;

(xii) इस स्कीम से छूट प्राप्त प्रतिष्ठान एक निरीक्षक-सह-सुविधादाता द्वारा प्रतिष्ठान के निरीक्षण की सुविधा प्रदान करेगा और उन दरों पर निरीक्षण शुल्क का भुगतान करेगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे;

(xiii) कर्मचारी या नियोक्ता द्वारा छूट प्रदान करने की शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात् प्रदान की गई छूट को रद्द किया जा सकता है;

(xiv) केंद्रीय सरकार या आयुक्त छूट को जारी रखने के लिए कोई और शर्त प्रदान कर सकते हैं।

28. छूट का नवीनीकरण. — (1) संहिता की धारा 143 के अधीन पहले से दी गई छूट के विस्तार के लिए आवेदन छूट की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले विनिर्दिष्ट पोर्टल पर किया जाएगा।

(2) छूट का नवीनीकरण माना जाएगा, बशर्ते कि प्रतिष्ठान और ट्रस्ट द्वारा छूट प्रदान करने की शर्तों को निरंतर पूरा किया जाता रहे।

(3) नवीनीकरण तब तक लागू रहेगा जब तक प्रतिष्ठान द्वारा छूट प्रदान करने की शर्तों को पूरा किया जाता रहता है या उस समय तक जब तक प्रतिष्ठान छूट को रद्द करने या अभ्यर्पण के लिए आवेदन नहीं करता और उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता या समुचित सरकार इसके कारणों को बताते हुए एक आदेश जारी नहीं करती, जिसमें एक ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट हो जिसके बाद नवीनीकरण का आदेश प्रभावी नहीं रहेगा और शून्य हो जाएगा।

29. कर्मचारी नामांकन अभियान, 2026 के संबंध में विशेष उपबंध. — कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 में विनिर्दिष्ट 'कर्मचारी नामांकन अभियान, 2026' आवश्यक परिवर्तनों सहित यथापरिवर्तित रूप में इस स्कीम पर लागू होगा।

30. संक्रमणकालीन उपबंध. — (1) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अधीन जिन प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है, वे वैध बनी रहेंगी और ऐसे प्रतिष्ठान नवीनीकरण के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं।

(2) जो प्रतिष्ठान उप-पैराग्राफ (1) के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के रूप में अनुपालन शुरू करेंगे और छूट की वैधता समाप्त होने के अगले महीने के पहले दिन से या इस स्कीम के प्रारंभ होने की तारीख से मासिक अंशदान जमा करना शुरू करेंगे।

31. हानियों को बट्टे खाते में डालना. — अगर केंद्रीय बोर्ड को लगता है कि संहिता के अधीन उसे देय अंशदान, उपकर, ब्याज और नुकसान की राशि वसूल नहीं की जा सकती है, वहाँ प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा निधि की समग्र वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यथास्थिति, ऐसे अंशदान, उपकर, ब्याज और नुकसानी को बट्टे खाते में डाल सकता है।

प्रपत्र

[पैरा 27(viii) देखें]

(किसी भी छूट प्राप्त प्रतिष्ठान (प्रतिष्ठानों)/कर्मचारी(कर्मचारियों) के लिए ऑनलाइन विवरणीभाग क :स्थापना विवरण

क्र. सं.	फ़ील्ड का नाम	फ़ील्ड प्रकार	टिप्पणी
1	स्थापना आईडी	नियोक्ता की लॉग इन आईडी के आधार पर	आंकड़े में किसी भी बदलाव के लिए नियोक्ता दस्तावेजों के साथ संबंधित
2	स्थापना का नाम		

3	पता	डेटाबेस से स्वतः भरी जाएगी	क्षे.भ.नि.आ. को एक ईमेल भेज सकता है।
4	स्थापना का स्थायी खाता संख्या	आंकड़े प्रविष्टि	पैन और पैन के अनुसार नाम आयकर डेटाबेस से सत्यापित किया जाएगा।
5	स्थायी खाता संख्या के अनुसार स्थापना का नाम	आंकड़े प्रविष्टि	
6	छूट का प्रकार	ड्रॉप डाउन सूची से चयन करें	कर्मचारी, कर्मचारियों का वर्ग, संपूर्ण स्थापना या स्थापना का वर्ग
	i. अधिसूचना संख्या	आंकड़े प्रविष्टि	अनिवार्य क्षेत्र
	ii. अधिसूचना तारीख	आंकड़े प्रविष्टि	अनिवार्य क्षेत्र
	iii. द्वारा जारी किया गया	आंकड़े प्रविष्टि	
	iv. वैधता	आंकड़े प्रविष्टि ___ से ___ तक	
7	छूट का नवीनीकरण।		
	i. अधिसूचना संख्या	आंकड़े प्रविष्टि	
	ii. अधिसूचना तारीख	आंकड़े प्रविष्टि	
	iii. द्वारा जारी किया गया	आंकड़े प्रविष्टि	
	iv. वैधता	___ से ___ तक आंकड़े प्रविष्टि	
8	पृथक/उप कोड वाली शाखाएं	यहां लिंक क्लिक करें	नियोक्ता को अपनी उन सभी शाखाओं को सूचीबद्ध करनी अनिवार्य है जिनके पास पृथक या उप कोड संख्या है। नियोक्ता नई शाखा जोड़ सकता है।

भाग ख : बीमा प्रदाता का ब्यौरा

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	क्षेत्र प्रकार	टिप्पणियां
1	बीमाकर्ता का नाम	आंकड़े प्रविष्टि	नाम और पंजीकरण संख्या का सत्यापन आईआरडीए आंकड़ेबेस से किया जाएगा।
2.	आईआरडीए पंजीकरण सं.	आंकड़े प्रविष्टि	
3.	पता पंक्ति 1	आंकड़े प्रविष्टि	
	पंक्ति 2	आंकड़े प्रविष्टि	
	शहर	आंकड़े प्रविष्टि	
	जिला	चयन	
	राज्य	चयन	
	पिन	आंकड़े प्रविष्टि	
4.	नीति का नाम	आंकड़े प्रविष्टि	
5.	पॉलिसी संख्या (यूआईएन)	आंकड़े प्रविष्टि	

6.	वैधता	आंकड़े प्रविष्टि	___ से ___ तक
7	आश्वासन लाभ		
	न्यूनतम	आंकड़े प्रविष्टि	
	न्यूनतम	आंकड़े प्रविष्टि	
8	नीति अपवर्जन, यदि कोई हो	आंकड़े प्रविष्टि	

भाग ग: (i) कर्मचारियों का विवरण (मासिक)

क्र. सं.	फ़ील्ड का नाम	फ़ील्ड प्रकार	टिप्पणी
1.	पिछले महीने के अंत तक कर्मचारियों की संख्या	आंकड़े प्रविष्टि	एक बार आंकड़े प्रविष्टि (केवल पहले रिटर्न में)। अगले महीने, पिछले महीने की समाप्ति पर कर्मचारियों की संख्या स्वतः प्रदर्शित हो जाती है।
2.	चालू महीने में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या	आंकड़े प्रविष्टि	ईसीआर के अनुसार समान होना
3.	वर्तमान माह के दौरान बाहर निकले/नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या	आंकड़े प्रविष्टि	ईसीआर के अनुसार समान होना
4.	चालू महीने के अंत तक कर्मचारियों की संख्या	दर्शाएं	(क+ख-ग) का योग सभी प्रकार के कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
5.	उपरोक्त क्रम संख्या 3 से, सेवा के दौरान कर्मचारियों की संख्या	आंकड़े प्रविष्टि	
6	दावों की प्रारंभिक शेष	एक बार आंकड़े प्रविष्टि	
	प्राप्त दावों की संख्या	आंकड़े प्रविष्टि	
	निपटारे गए दावों की संख्या	आंकड़े प्रविष्टि	
	लंबित दावों की संख्या.	दर्शाएं	अगले महीने तक ओबी के रूप में ले लिया जाएगा
	लंबित दावों का कारण	आंकड़े प्रविष्टि	

भाग ग: (ii) : आश्वासन लाभ (मासिक)

क्र.सं	सदस्य का नाम	यूएएन	भुगतान किए गए आश्वासन लाभ की राशि	भुगतान की तारीख
1				
2				
3				
4				

भाग ग: (iii) शिकायतें (मासिक)

क्र.सं	शिकायतें		
1	प्रारंभिक शेष	एक बार की आंकड़े प्रविष्टि	
2	माह के दौरान प्राप्त शिकायतें	आंकड़े प्रविष्टि	
3	कुल कार्यभार	दर्शाएं	1 एवं 2 का योग
4	निपटाए गए शिकायत मामले	आंकड़े प्रविष्टि	
5	निपटाए गए शिकायत मामलों का प्रतिशत	दर्शाएं	4*100/3
6	अंतिम शेष	दर्शाएं	अगले महीने तक ओबी के रूप में ले लिया जाएगा
7	लंबित शिकायत मामलों का प्रतिशत	दर्शाएं	6*100/3

नोट्स:निर्देश/

- भाग ग में आंकड़े प्रविष्टि की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब भाग क और ख भरे जा चुके हों।
- सभी प्रतिष्ठानों द्वारा प्रत्येक माह भाग ग भरा जाना अनिवार्य है।
- एक बार डेटा सेव करने के बाद, डेटा में कोई भी बदलाव होने पर बटन पर क्लिक करके इसे बाद में 'संपादित करें' संशोधित किया जा सकता है।
- हालाँकि, निम्नलिखित डेटा को संपादित नहीं किया जा सकता है:
 1. प्रतिष्ठान का नाम और पता। यदि कोई बदलाव होता है, तो नियोक्ता को सहायक दस्तावेजों के साथ संबंधित भविष्य निधि कार्यालय से अनुरोध करना आवश्यक है ताकि ईपीएफओ एप्लीकेशन में डेटा बदला जा सके और इसे सहायक भविष्य निधि आयुक्त के स्तर पर एकीकृत पोर्टल पर अपडेट किया जा सके।
 2. प्रतिष्ठान का स्थायी खाता संख्या और स्थायी खाता संख्या के अनुसार नाम, यदि डेटा सत्यापित हो चुका है और स्थिति 'सत्यापित' दिखाई दे रही है।
 3. अधिसूचना से संबंधित धारा/पैराग्राफ का चयन और ऐसे आदेश का विवरण, क्योंकि विवरणी का प्रारंभिक महीना छूट की प्रभावी तिथि 'पर आधारित होता है।

[फा. सं. एस-35026/06/2026-एसएस-II]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2026

G.S.R. 526(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 15 of the Code on Social Security (36 of 2020) and in supersession of the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Scheme, namely: -

1. **Short title, commencement and application.** -(1) This scheme may be called the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

(3) Subject to the provisions of sections 20 and 143 of the Code on Social Security, 2020, this scheme shall apply to employees of every establishment to which Chapter III of the said Code applies.

2. Definitions.- (1) In this scheme, unless the context otherwise requires –

- (a) “Code” means the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020);
- (b) “assurance benefit” means a payment linked to the average balance in the Provident Fund Account of an employee, payable in the event of death of the employee while being a member of the Provident Fund;
- (c) “Insurance Policy” means a Group Insurance policy issued by an Insurance Service Provider;
- (d) “Commissioner” means the Central Provident Fund Commissioner, Additional Central Provident Fund Commissioner, Deputy Provident Fund Commissioner, Regional Provident Fund Commissioner and Assistant Provident Fund Commissioner appointed under section 14 of the Code;
- (e) “member” means a member of the Employees’ Provident Funds Scheme, 2026 or of a Provident Fund exempted under section 143 of the Code, who is required to become a member of this scheme;
- (f) “nominee” means a person nominated in paragraph 46 of the Employees’ Provident Funds Scheme, 2026;
- (2) All words and expressions used herein but not defined shall have the meaning respectively assigned to them in the Code or the rules framed thereunder or the Employees' Provident Funds Scheme, 2026.

3. Administrative and financial powers of Commissioner.- The Commissioner may, without reference to the Central Board, sanction expenditure on contingencies, supplies and services and purchase of articles required for administration of the Insurance Fund, subject to financial provision in the budget and the limits up to which the Commissioner may be authorised to sanction expenditure on any single item.

4. Applications of provisions of Employees’ Provident Funds Scheme, 2026.- With regard to matters for which there is either no provision or inadequate provisions in this scheme, the provision of the Employees’ Provident Funds Scheme, 2026, shall apply.

5. Contribution. - (1) The contribution payable by the employer under clause (c) of sub-section (1) of section 16 of the Code to the Deposit Linked Insurance Fund, shall be calculated on the basis of the wages as defined in clause (88) of section 2 of the Code, subject to the wage ceiling specified in clause (89) of section 2 of the Code.

- (2) The rate of contribution shall be notified by the Central Government in consultation with the Central Board from time to time taking into account the actuarial valuation of the Insurance Fund.
- (3) Each contribution shall be calculated to the nearest rupee, fifty paise or more to be counted as the next higher rupee and fraction of a rupee less than fifty paise to be ignored.

6. Mode of payment of contribution. - (1) The employer shall, within fifteen days of the close of every month pay the contribution and administrative charges to the Insurance Fund through electronic mode (including digital payment) of agency banks listed with the Reserve Bank of India or scheduled banks or payment gateway or through the PayGov platform, authorised for such collection and cost of remittance, if any, shall be borne by the employer.

- (2) The employer shall be responsible to pay the contribution payable by himself in respect of the employees directly employed by him and the employees employed by or through a contractor.

7. Recovery of damages for default in payment of contribution. - (1) Where an employer makes default in the payment of any contribution to the Insurance Fund or in the payment of any charges payable under the provisions of the Code or the rules framed thereunder or this Scheme, the Commissioner or such officer as may be authorised by

the Central Government, in this behalf, may recover from the employer by way of penalty, damages at the rate and specified in the Employees' Provident Funds Scheme, 2026.

(2) The damages shall be calculated to the nearest rupee, fifty paise or more to be counted as the nearest higher rupee and fraction of a rupee less than fifty paise to be ignored.

8. Employer's contribution not to be deducted from wages of employee. - Notwithstanding any contract to the contrary, the employer shall not deduct the employer's contribution payable by him under this scheme from the wages of the employees or to recover it from them in any other manner.

9. Duty of employer. - (1) Every employer shall send to the Commissioner, within fifteen days of the commencement of this scheme, a consolidated return, of the employees who are entitled and required to become members of the Insurance Scheme as per provisions of Employees' Provident Funds Scheme, 2026 or in case of exempted establishment under section 143 of the Code or under the rules of the provident fund of the establishment.

(2) Every employer shall, within fifteen days of the close of each month, upload electronically on the designated portal, details of the employees qualifying to become members of the Fund for the first time during the preceding month and also details of the employees leaving the service of the employer during the preceding month.

(3) Every employer shall assist the Central Board in making such payment from the Insurance Fund as are sanctioned by or under the authority of the Central Board.

(4) Any other directions issued by the Commissioner, as he may consider necessary for proper implementation of this scheme, shall be carried out by every employer.

10. Inspection of records and registers.- Every employer shall, whenever the Commissioner or any other officer authorised by him in this behalf or an Inspector-cum-Facilitator so require, produce before him, the records and other registers, maintained either in physical form or in electronic form for inspection.

11. Administration Account. - (1) The amount received from the employers under proviso to clause (c) of sub-section (1) of Section-16 of the Code and the inspection charges received under sub-section 6 of section 143 of the Code, shall be credited to an account called the Insurance Fund Central Administration Account and all expenses towards the administration of this scheme shall be met out of this account.

(2) Net Assets of the Insurance Fund Central Administration Account under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 shall vest in and stand transferred to the Insurance Fund Central Administration Account under this Scheme.

12. Deposit-Linked Insurance Fund Account. - (1) The amount received as the employer's contribution shall be credited to an account to be called the Deposit-Linked Insurance Fund Account and all expenses towards the cost of any benefits provided by or under this scheme shall be met out of this account.

(2) Net Assets of the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976, as on the date of notification of this scheme, shall vest in and stand transferred to the Insurance Fund Account.

13. Investment of money of Insurance Fund. - (1) All money of the Insurance Fund standing in deposit with the Central Government in the public account, as on the notification of this scheme, shall continue to be held in the

same account and the Central Government shall give interest at a rate not less than eight and one-half per cent. per annum.

(2) Subject to sub-paragraph (1), all monies standing in the credit of the Insurance Fund and all monies credited into the Insurance Fund hereinafter shall be invested in accordance with the Employees' Provident Funds Scheme, 2026.

(3) Notwithstanding sub-paragraph (2), the Central Government may provide for specific investment pattern for the Insurance Fund.

14. Interest. - All interest, rent and other income realised and net profits or losses, if any, from the sale of investments, not including therein the transaction of the Insurance Fund Central Administration Account, shall be credited or debited, as the case may be, to the Insurance Fund.

15. Disposal of Insurance Fund.- (1) Subject to the provisions of the Code and the Insurance Scheme, the Insurance Fund, not including therein the Insurance Fund Central Administration Account, shall not, except with the previous sanction of the Central Board, be expended for any purpose other than the payment of the benefits in accordance with the provisions of this Scheme.

(2) The Insurance Fund shall be operated by such officers as may be authorised in this behalf by the Central Board.

16. Administrative expenses. - All expenses relating to the administration of this Scheme shall be met out of the Insurance Fund Central Administration Account.

17. Forms of accounts. - The accounts of the Employees' Deposit Linked Insurance Fund and the Employees' Deposit Linked Insurance Administration Account shall be maintained by the Commissioner in the form and manner specified by the Central Board with the approval of Central Government.

18. Audit. - (1) The accounts of the Insurance Fund, including the Insurance Fund Central Administration Account, shall be audited in accordance with the instructions issued by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(2) The charges on account of audit shall be paid out of the Insurance Fund Central Administration Account

19. Valuation of Insurance Fund. - (1) The Central Board, with the prior approval of the Central Government shall appoint a valuer for valuation of the Insurance fund every three years to assess the sustainability, solvency and adequacy of the rate of contribution and the benefit structure:

Provided that it shall be open to the Central Government to direct a valuation to be made at such other times as it may consider necessary.

(2) The Central Government may alter the rate of contribution payable or the scale of benefits admissible under this scheme or the period for which such benefit may be given, in consultation with the Central Board.

20. Budget. - (1) The Central Provident Fund Commissioner shall place before the Central Board each year before the first fortnight of February, a budget showing separately the probable receipts from the contributions and the administrative charges and the expenditure, which is proposed to be incurred during the following financial year.

(2) The budget approved by the Central Board shall be submitted to the Central Government within a month of its being placed before the Central Board.

- (3) The Central Government may make such modification in the budget as it considers necessary.
- (4) The Commissioner may at any time during the year, make budgetary re-appropriation of funds sanctioned in the budget, by the Central Government provided that,
- (i) the total amount sanctioned in the budget by the Central Government is not exceeded;
 - (ii) it is made only for meeting such expenses of administration as are to be met from the Insurance Fund Central Administration Account; and
 - (iii) every re-appropriation so made shall be reported to the Central Board at its next meeting.
- (5) The Central Provident Fund Commissioner shall place before the Central Board, a supplementary budget for a financial year giving detailed estimates and reasons of inescapable expenditure which is likely to be incurred during the year for which no provision has been made in the sanctioned budget and which cannot be covered under the provisions of sub-paragraph (4).
- (6) Any expenditure incurred by the Central Provident Fund Commissioner over and above the sanctioned budget of the financial year not covered under the provisions of sub-paragraphs (4) and (5), shall be reported to the Central Board at the earliest after the excess is established for its consideration and for obtaining sanction of the Central Government.

21. Scales of assurance benefit and minimum average balance maintained by employee.- (1) On the death of an employee, who is a member of the Fund or of a Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case may be, the person/(s) entitled to receive the provident fund accumulations of the deceased shall, in addition to such accumulations be paid an amount, equal to the average balance in the account of the deceased in the Fund or of a Provident Fund during preceding twelve months or during the period of his membership, whichever is less, except where the average balance exceeds rupees fifty thousand, the amount payable shall be rupees fifty thousand plus 40% of the amount in excess of rupees fifty thousand subject to a ceiling of rupees one lakh.

- (2) In the event of death of an employee under sub-paragraph (1) during the preceding twelve months or during the period of his membership, even if the average provident fund balance of an employee who is a member of the Fund or of a Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case may be, is less than rupees fifty thousand, a minimum assurance benefit of rupees fifty thousand shall be payable.

Explanation 1. – For the purpose of determining the average balance in the Fund or in the Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case maybe, in relation to any employee, the sum total of contributions by the employee and the employer, due for and up to the relevant period, whether paid or unpaid in the Fund or in the Provident Fund exempted together with interest thereon, shall be included.

Explanation 2. – The period of twelve months for calculation of benefits under this scheme shall be computed backwards from the month preceding the month in which death of the member occurs.

- (3) In the case of a part-time employee who was a member of the Fund or of a Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case maybe, while serving in more than one factory or establishment, the quantum of benefit under this scheme shall be determined with reference to the average of the aggregate balance in all his accounts in the Fund or of a Provident Fund during the preceding twelve months.

- (4) On the death of an employee, who is a member of the Fund or of a Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case may be, was in employment for a continuous period of twelve months preceding the month in which he died, the persons entitled to receive the provident fund accumulations of the deceased shall, in addition to such accumulations to be paid an amount, equal to: -

- (i) the average monthly wages drawn (subject to a maximum of the wage ceiling notified by the Central Government), during the twelve months preceding the month in which he died, multiplied by thirty-five times plus fifty per cent. of the average balance in the account of the deceased in the fund or of a Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case may be, during the preceding twelve months subject to a ceiling of one lakh and seventy-five thousand rupees:

Provided that the assurance benefit shall not be less than two lakh and fifty thousand rupees and shall not exceed seven lakh rupees;

- (ii) the amount of benefit under sub-paragraph (1), whichever is higher:

Provided that for the purpose of determination of continuous period of twelve months required for eligibility of minimum assurance benefits payable under sub-paragraph (4) of this scheme, the gap of sixty days between two spells of employment shall be ignored and such multiple services shall be added being treated as continuous service.

Explanation.- In the case of a part-time employee who is a member of the Fund or of a Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case may be, who was serving in more than one factory or establishment for a continuous period of twelve months, preceding the month in which he died, the quantum of benefit under this scheme shall be determined with reference to the average wage of the aggregate of all the wage wherever he was continuously working for more than twelve months, subject to the wage ceiling defined in clause (89) of section 2 of the Code.

- (5) The benefit under this scheme shall be further increased by twenty per cent in addition to the benefits admissible under sub-paragraph (1) or (3), as the case may be.
- (6) In the event an employee who is a member of the Fund or of a Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case may be, dies in service within six months of the last contribution received while still being on the rolls of the employer, such an employee shall get the assurance benefit as per this scheme.

22. Assurance benefit to whom payable. - (1) The nomination made by the member in accordance with the Employees' Provident Funds Scheme, 2026 or under the Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case may be, shall be treated as nominations under this scheme and the assurance amount shall be payable to such nominee or nominees.

- (2) If no nomination subsists or if the nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, or under the Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case may be, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall become payable to the members of his family in equal shares.

- (3) In any case to which the provisions of sub-paragraphs (1) and (2) do not apply, the whole amount shall be payable to the person legally entitled to it.

- (4) If a person who is eligible to receive assurance benefit of the deceased member in terms of sub-paragraphs (1), (2) or (3) is charged with the offence of murder of the member or for abetment in the commission of such an offence, his claim to receive assurance benefit shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him.
- (5) If on the conclusion of the criminal proceedings, the person concerned is: -
- (a) convicted for the murder or abetting the murder of the member, he shall be debarred from receiving his share of deposit linked assurance benefit which shall be payable to other eligible members of the family; or
 - (b) acquitted of the charge of murder or abetment in the murder of the member, his share shall be payable to him.

Explanation: For the purpose of this paragraph, a member's posthumous child, if born alive, shall be treated in the same way as a surviving child born before the member's death.

23. Mode of payment of assurance amount. – (1) Every claimant shall file a claim to the Commissioner in the form and manner specified by the Central Provident Fund Commissioner, either online or offline, to claim payment under this Scheme.

(2) The payment shall be made to the person through electronic funds transfer system in savings bank account of any scheduled bank or co-operative bank (including an Urban Co-operative Bank) or in any post office as specified in the Employees' Provident Funds Scheme, 2026.

- (3) The claims, complete in all respects submitted along with the requisite documents shall be settled and benefit amount paid to the beneficiaries within twenty days from the date of its receipt by the Commissioner.
- (4) In case there is any deficiency in the claim, the same shall be recorded in writing and communicated to the applicant within twenty days from the date of receipt of such application.
- (5) In case the Commissioner fails without sufficient cause to settle a claim complete in all respects within twenty days, the Commissioner shall be liable for the delay beyond the set period and penal interest at the rate of twelve per cent. per annum may be charged on the benefit amount and the same may be deducted from the salary of the Commissioner.
- (6) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), the Central Board may authorize, subject to such monetary ceiling as it may deem fit, the Commissioner or any other officer to make payment from the Insurance Fund to the nominee or the eligible beneficiary, as the case may be, without receipt of a claim.

24. Registers, records, etc. - The employer of an establishment shall maintain records and registers in the form and manner specified by the appropriate Government electronically or otherwise, containing such particulars and details with regard to persons employed, muster roll, wages and such other particulars and details pertaining to rules.

25. Annual Report.- The Central Board shall before the tenth of December approve and submit to the Central Government before the twentieth of December each year, a report on the working of this scheme during the previous financial year.

26. Special provision for claims under Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976.- Any person entitled to receive the assurance benefit under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 shall be entitled to receive the same benefits as was applicable on the date of eligibility of such benefit.

Explanation: If a member of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 dies before the commencement of this scheme, but the claim is received after the commencement of this scheme, the entitlement as per scheme applicable on the date of death of member would receive same benefit from the Insurance Fund as was entitled under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 unless otherwise specified by Central Government.

27. Terms and conditions for grant of exemption. – All exemptions from the provisions of this Scheme may be granted subject to the following terms and conditions, namely:-

- (i) the establishment making such an application for grant of exemption shall submit consent of majority of employees;
- (ii) an establishment seeking exemption or extension of exemption from the Employees Deposit Linked Insurance Scheme shall purchase Insurance Regulatory and Development Authority of India approved Group Insurance Policy for all its employees and employer shall certify in writing that the benefit is more beneficial than that is available in this scheme and that employees are not making any separate payment of contribution or premium;
- (iii) an establishment seeking exemption or extension of exemption from the Employees Deposit Linked Insurance Scheme shall apply at least six months in advance from the proposed date of exemption or expiry of exemption;
- (iv) the exemption granted under section 143 of the Code shall come into effect prospectively;
- (v) all employees, who were eligible to become members of the Provident Fund or Provident Fund granted exemption under section 143 of the Code, shall be enrolled as members of the Insurance Fund;
- (vi) the employer of the exempted establishment shall undertake to pay the assurance benefit which would have been payable to the employees' beneficiary, in the event that the Insurance service provider fails to pay such assurance benefit to the eligible beneficiary;
- (vii) where an employee or class of employees or establishment or class of establishment is exempted under the Code, the employer shall in respect of such employee or class of employees maintain such account, provide such facilities for inspection, and pay such inspection charges as the Commissioner may direct;
- (viii) the establishment exempted under this scheme shall submit monthly online return in the form appended to this scheme;
- (ix) all claims for assurance benefits shall be settled expeditiously within the time frame prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation;
- (x) the exemption granted shall remain valid for a period of three years of its publication unless it is cancelled by the appropriate Government or surrendered by the establishment;
- (xi) any amendment to this scheme, which is more beneficial to the employees than the Insurance policy purchased by the establishment, shall be made applicable to them automatically pending formal

amendment of the policy by the Insurance service provider;

- (xii) the establishment exempted from the this Scheme shall facilitate inspection of the establishment by an Inspector cum-Facilitator and shall pay inspection charges at the rates the Central Government may notify;
- (xiii) in the event of any violation of the conditions for grant of exemption by the employee or employer, the exemption granted may be cancelled after issuing a show cause notice in this regard;
- (xiv) the Central Government or the Commissioner may provide any further condition for continuation of exemption.

28. Renewal of exemption. - (1) The application for extension of exemption already granted under Section 143 of the Code shall be made on the specified portal, at least six months before the expiry of exemption.

(2) The exemption shall stand renewed, provided that the condition for the grant for exemption continued to be satisfied by the establishment and the trust.

(3) The renewal shall continue to be in operation till the time conditions of grant of exemption continue to be satisfied by the establishment or till such time that the establishment makes an application for cancellation or surrender of exemption and same is accepted or the Appropriate Government issues an order giving reason therein specifying a date beyond which the order of renewal shall cease to operate and shall be void.

29. Special provisions in respect of Employees' Enrolment Campaign, 2026.— The Employees' Enrolment Campaign, 2026 specified in the Employees' Provident Funds Scheme, 2026 shall *mutatis mutandis* apply to this scheme.

30. Transition provisions. - (1) The establishments granted exemption under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 shall continue to be valid and such establishments may file an application for renewal.

(2) The establishments which do not fall under sub-paragraph (1) shall start complying as un-exempted establishment and start depositing monthly contributions from the 1st day of the month following the expiry of validity of the exemption or from the date of commencement of this scheme.

31. Writing off of losses. - The Central Board, where it is satisfied that the amount of contribution, cess, interest and damages due to it, under the Code, is irrecoverable, may, with due regard to the facts and circumstances of each case and the overall financial condition of the fund, write off such contribution, cess, interest and damages, as the case may be.

Form

[See Paragraph 27(viii)]

(Online returns for any exempted establishment(s) / employee(s))

PART A: ESTABLISHMENT DETAILS

SI. No	Field Name	Field Type	Remarks
1	Establishment ID	Auto populated from database based on log in ID	For any change in the data the employer may send an email to
2	Name of the establishment		

3	Address	of the employer	the concerned RPFC along with documents.
4	PAN of the establishment	Data entry	The PAN and the Name as per PAN will be verified from the Income Tax Database.
5	Name of establishment as per PAN	Data entry	
6	Type of exemption.	Selection from a drop-down list	Employee, class of employees, whole establishment or class of establishment
	i. Notification number	Data entry	Mandatory field.
	ii. Notification date	Data entry	Mandatory field.
	iii. Issued By	Data Entry	
	iv. Notification with effect	From __. __ to ____ Data entry	
7	Renewal of exemption.		
	i. Notification number	Data entry	
	ii. Notification date	Data entry	
	iii. Issued by	Data Entry	
	iv. Validity	From __. __ to ____ Data entry	
8	Branches having separate/Sub code	Click here link	The employer is required to list out all its branches having separate or sub code number. Employer can add new branch.

PART B: INSURANCE PROVIDER DETAILS

Sl. No.	Field Name	Field Type	Remarks
1	Name of the Insurer	Data entry	The Name and Registration No. will be verified from the Insurance Regulatory and Development Authority of India Database.
2.	IRDA Registration No	Data entry	
3.	Address Line 1	Data entry	
	Line 2	Data entry	
	City	Data entry	
	District	Selection	
	State	Selection	
	PIN	Data entry	
4.	Name of the policy	Data entry	
5.	Policy number (UIN)	Data entry	
6.	Validity	Data Entry	From _____ to _____
7	Assurance benefit		
	Minimum	Data entry	
	Maximum	Data entry	
8	Policy exclusion, if any.	Data entry	

Part C: (i). EMPLOYEES DETAILS (Monthly)

Sl. No.	Field Name	Field Type	Remarks
1.	Number of employees as on close of previous month	Data entry	One-time data entry (only in the first return). On the next month the number of employees as on close of previous month

			is automatically displayed.
2.	Number of employees who joined in the current month	Data entry	To be same as per ECR
3.	Number of employees who Exited/left during the current month	Data entry	To be same as per ECR
4.	Number of employees as at the end of current month	Display	Sum of (A+B-C) All types of employees are included.
5.	From Sl. No. 3 above, Number of Employees who died while in service.	Data entry	
6	Opening Balance of Claims	One time data entry	
	No of Claims received	Data entry	
	No of claims Settled	Data entry	
	No. of Claims pending	Display	Will carry as OB to next month
	Reason for pending claims	Data entry	

Part C: (ii): ASSURANCE BENEFITS (Monthly)

Sl. No	Name of member	UAN	Amount of assurance benefit paid	Date of payment
1				
2				
3				
4				

Part C: (iii) GREIVANCES (Monthly)

Sl. No.	GRIEVANCES		
1.	Opening balance	One time data entry	
2.	Grievances received in the month	Data entry	
3.	Net workload	Display	1 plus 2
4.	Grievances disposed	Data entry	
5.	% of grievances disposed	Display	4*100/3
6.	Closing balance	Display	Will carry as OB to next month
7.	% of Grievances pending	Display	6*100/3

Notes/Instructions:

- Data entry in part C will be allowed only when the Part A and B are filled in.
- Part C are to be filled in by all establishments each month.
- Once the date is saved, it can be edited later when there is any change in the date by click of the EDIT Button.
- However, the following data cannot be edited:
 1. Name and address of the establishment. If any change is there the employer is required to request the concerned PF Office with supporting documents so that the data is first changed in the EPFO Application and it will be updated on the Unified Portal at the level of APFC.
 2. The PAN and name as per PAN of the establishment if the data is verified and the status is shown as verified.
 3. Selection of the section/paragraph regarding the notification and the details of such order, as the start month of the return is based on the 'with effect from' - date of exemption.

[F. No. 'S-35026/06/2026-SS-II]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.